सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 37 राँची, गुरूवार, 18 जनवरी, 2024 (ई०)

UNCOMPLYCAT simplifying compliance

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

संकल्प

14 नवम्बर, 2023

विषयः राज्य की, **IT, Data Center एवं BPO Investment PromotionPolicy-2023के निर्धारण के संबंध में।**

संख्या-3271-–संपूर्ण देश ने IT/ITeS क्षेत्र में पिछले एक दशक में असाधारण वृद्धि दर्ज करते हुए पूरी दुनियाँ में एक उदाहरणात्मक स्थिति हासिल की है। देश की इस उपलब्धता के पीछे IT/ITeS क्षेत्र द्वारा विश्वसनीय एवं सेवाओं का कम लागत में प्रतिपादन है। इसी कारण विश्व के अन्य विकसित देशों द्वारा भारत में उपलब्ध इन सेवाओं का उपयोग उपभोक्ता बाजार में लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ESDM, IoT, AI, ML/BIG DATA/Blockchain, Robotics इन क्षेत्रों में उभरती नई प्रौद्योगिकियाँ है।

भारत की भागीदारी संपूर्ण विश्व में IT एवं बिजनेस प्रोसेस मैंनेजमेंट (BPM) सेवा उद्योगों में 55% है। भारतीय IT/ITeS कंपनियों के विश्व के 80 देशों में 1000 से अधिक अंतराष्ट्रीय वितरण केन्द्र हैं। वर्ष 2022 में भारत में IT Industries का GDP में 7.4% का योगदान था जो वर्ष 2025 तक 10% बढ़ने की संभावना है। भारत Global Innovation Index (GII) ranking में छः पायदान की बेहतरी के साथ वर्ष 2022 में 40वें पायदान पर पहूँच गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि कोई भी राज्य इन उद्योगों को प्रोत्साहित किये बिना अपने विकास की रफ्तार को यथोचित गति नहीं प्रदान कर सकता है। झारखण्ड के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में एस.टी.पी.आई. से पंजीकृत IT/ITeS कंपनियों का निर्यात 45 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है एवं इसमें विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष 30% से

अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इन पॉलिसियो के माध्यम से राज्य में इनकी भागीदारी अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ाई जा सकती है। विभागीय पोलिसी समिति द्वारा बनाये गये Policy draft को झारखण्ड पोर्टल पर Key Stakeholders से Comments/Suggestions प्राप्त करने हेतु upload किया गया था एवं दैनिक समाचार पत्र द्वारा भी आमजनों को सूचना दी गई थी।

इस **IT, Data Center and BPO Investment Promotion Policy-2023** को तीन भागों में विभक्त किया गया हैः-

क) **IT Policy-2023**
ख) **Data Centre Policy- 2023**
ग) **BPO Investment Promotion Policy- 2023**

2. **IT, Data Center** एवं **BPOInvestment PromotionPolicy-2023** की वैधता-यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी होगी।

3. क. **<u>Information Technology Policy-2023</u>**

IT/ITeS के माध्यम से सभी उद्योगों में नवीन तकनीको का उपयोग कर इसे सुदृढ़ एवं दक्ष बनाया जा सकता है, ताकि ये इस परिवर्तनशील परिदृश्य में अपने आप को अप्रचलित होने से बचाने के साथ-साथ अपने उत्पादों को दुनिया के अन्य उत्पादों के अनुरूप इस वैश्विक बाजार में अपनी योग्यता साबित कर सके। इसके अतिरिक्त यह सरकार को अपनी नागरिक पहुँच बेहत्तर करने व अपनी G2C सेवाओं की गुणक्ता में सुधार करने का सशक्त माध्यम बन सकता है। उक्त कंडिकाओं में वर्णित प्रसंगों के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी से सभी उद्योगों में इसके प्रकोप को कम करने में भी IT/ITeS का अहम योगदान रहने वाला है।

विजन (Vision):- राज्य को IT/ITeS/ESDM/Data Centre/BPO के क्षेत्र में देशभर के अग्रणी राज्यों में शामिल करते हुए उद्योग के समावेशी विकास के लिए अनुकूल एवं जीवंत इकोसिस्टम तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड को नवीन तकनीकों, Innovation,उद्यमशीलों के वैश्विक हब (Hub) के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है।

उद्देश्यः- राज्य को IT/ITeS/ESDM/Emerging Technology/Data Centre/BPO इकाईयों में कार्यरत डिजिटल उद्यमियों हेतु आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करते हुए राज्य में उद्योगन्मुख इकोसिस्टम तैयार किया जाना है।

4. इस निमित कुछ प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित किया गया हैः-

(i) राँची एवं राज्य के अन्य टियर II शहरों को वैकल्पिक IT एवं BPO गंतव्यों के रूप में बढ़ावा देना एवं राज्य में IT Infrastructure का निर्माण कराना।
(ii) पॉलिसी अवधि के दौरान 2 (दो) लाख प्रत्यक्ष एवं 8 (आठ) लाख अप्रत्यक्ष कुल 10 (दस) लाख रोजगार का सृजन कराना।
(iii) राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु IT Infrastructure यथा IT Park/HUB/Cluster/IT SEZs/IT Cities का निर्माण कराना।
(iv) सभी सरकार प्रदतसेवाओं को नागरिकों के द्वार पर मुहैया कराना।
(v) IT/ITeS आधारित नवीन तकनीकों की मदद से राज्य के आमजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना |

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

5. <u>पॉलिसी की कार्य योजना के प्रमुख अवयव</u>

(क) डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माणः- इसका उद्देश्य राज्य के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु ढांचा विकसित करना है, जिसमें नागरिकों के संबंध में आवश्यक सूचनायें उपलब्ध होने के साथ-साथ डिजिटल बाजार व रोजगार का सृजन करना भी है।

(ख) नागरिक सेवा:- राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से सरकार प्रदत्त सभी सेवायें नागरिकों के घर तक ले जाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगी, तद्नुसार राज्य में IT के बुनियादी ढाँचे का विकास किया जायेगा।

(ग) आमजनों को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से डिजिटली सशक्त किया जायेगा।

(घ) राज्य सरकार एवं उद्योगों के मध्य सेतु निर्माणः- इसके तहत् राज्य प्रत्येक वर्ष STPI, NASSCOM, INFOCOM एवं अन्य उद्योग/संघो के सहयोग से IT Product Conclave का आयोजन करेगी एवं इन उद्योग संघो को राज्य में अपने कार्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित करेगी।राज्य सरकार द्वारा राँची के IT Park/IT City में एक Convention Centre का निर्माण IT/ITeSESDM एवं BPO क्षेत्र के Conference-Seminar आहूत कराने हेतु किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग STPI की मदद से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्षवार एक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन करेगी, ताकि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगों द्वारा दिये जा रहे योगदान की सराहना की जा सके।

(ङ) ब्रांड झारखण्ड विकसित करते हुए राज्य की सकारात्मक वैश्विक छवि बनाना।

(च) राज्य द्वारा क्रियान्वित सभी IT/ITeS संबंधित सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के राज्य पोर्टल से जोड़ते हुए, इसे उद्योग विभाग द्वारा विकसित Single Window System से लिंक कर सभी तरह के Incentive/Services ऑनलाइनएकल पोर्टल से उपलब्ध करना।

(छ) IT, ITeS, ESDM, BPO एवंअन्यनवीन तकनीकों के अंतराष्ट्रीय वराष्ट्रीय Trade Fair में भाग लेने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इस निमितविभाग द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय सहायता का विस्तृत विवरण पालिसी की कंडिका 3(g) में वर्णित है।

(ज) राज्य सरकार द्वारा राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद में इन उद्योगों के 3 ESDM Innovation Hub बनाने हेतु प्रयास पॉलिसी निर्धारण के पश्चात् करेगी। आदित्यपुर में स्थापित किये जा चुके Electronic Manufacturing Cluster (EMC) के अतिरिक्त भारत सरकार के EMC 2.0 योजना के अंतर्गत प्रमुख शैक्षिक संस्थानों एवं JIADA की मदद से राँची एवं धनबाद में 2 (दो) ओर EMC इकाईयाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(झ) राज्य द्वारा 100 एकड़ भूमि पर PPP मोड में एक Mega IT Park के अतिरिक्त IT/ITeS के MSME के लिए 5 लाख Sq.ft. क्षेत्र में एक Signature Tower का निर्माण किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों को स्वयं IT Park/IT SEZ स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा एवं अच्छे रिकॉर्डधारी निजी कंपिनियों को PPP मोड में IT Park विकसित करने हेतु भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इस तरह के PPP मोड वाली परियोजनायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित High-Level Empowered Committee द्वारा अनुमोदित करा कर क्रियान्वित की जाएगी।

(ञ) राज्य के चयनित जिलों यथा- राँची,जमशेदपुर,देवघर,धनबाद तथा बोकारो में JIADA की मदद से Land Bank स्थापित करते हुए, उन्हें IT Park/IT SEZs के रूप में सीमांकित की जाएंगी।

6. <u>पॉलिसीअंतर्गत देयIncentive:-</u>

इसका विस्तृत विवरण पालिसी के प्रथम भाग IT Policy-2023 की कंडिका-4 में वर्णित है।

7. <u>IT Park के निर्माण संबंधी निर्देशः</u>

UNICOMPLYCATE
simplifying compliance

(क) अनिवार्य आवश्यकताएँ :-

1न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता 10 हजार वर्गमीटर है।

2. किराये पर दी गई उद्योगों की संख्या न्यूनतम 5 निर्धारित की गई है।

3.न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षेत्र IT/BPO/ESDM आधारित उद्योगों के लिए निर्धारित की गई है।

(ख) **सैद्धांतिक अनुमोदन एवं अधिसूचनाः-** IT Park का निर्माण कर रही कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के साथ एक एकरारनामा किया जाएगा,जो इसके निर्माण हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन होगा। उक्त क्षेत्रविशेष में कम से कम 5 (पाँच) IT/ITeS/BPO/ESDM आधारित उद्योगों के स्थापना के पश्चात् उस क्षेत्र को आई0टी0 पार्क के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस निमित्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग नोडल पदाधिकारी होंगे।

(ग) निजी कंपनियों/डेवलेपर्स को देय Incentives:–इसका विस्तृत विवरण पॉलिसी के प्रथम भाग IT Policy-2023 की कंडिका-5.3 में वर्णित है।

8. <u>पालिसी के क्रियान्वयन की निगरानीः-</u>

इस निमित्त विस्तृतविवरण IT Policy-2023 की Chapter-IV में वर्णित है।

ख. <u>Data Centre Policy-2023</u>

9. **Data Centre Park:-** Data Centre Parkकी परिभाषा के अनुसार कम से कम 5 (पाँच) Data Centre इकाइयों जो कुल न्यूनतम 25 MW क्षमता के हों, को Data Centre Park की श्रेणी में रखा जाएगा। Data Centre एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहाँ कंप्यूटिंग एवं नेटवर्किंग उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित करने एवं संग्रहित करने के उद्देश्य से संरचित होते हैं। विशेष कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित Captive Data Centre इस नीति के तहत् विचारणीय नहीं होंगे। Data Centre Park या Data Centre इकाईयों को देय वित्तीय प्रोत्साहन भुमि की लागत सहित उनके कुल Investment के 50% से अधिक नहीं होगा।

10. Data Centre Park के निर्माण हेतु दिये जाने वाला Incentives: –इसका विस्तृत विवरण पॉलिसी के द्वितीय भागData Centre Policy -2023 की कंडिका-3 एवं 4 में वर्णित है।

ग. <u>BPO/BPM Policy 2023</u>

11. पॉलिसी के तहत् राज्य में कार्यरत BPO/BPM इकाईयों को Incentive प्राप्त करने हेतु निम्नांकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(क) ITeS सेवाओं की परिभाषा में सूचीबद्ध BPO/BPM इस पॉलिसी के तहत् लाभ/प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

(ख) BPO/BPM इकाईयों एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के मध्य हुए एकरारनामें के एक वर्ष की समय सीमा के अंदर अपना संचालन शुरू करने के साथ-साथ इन इकाईयों को न्यूनतम 3 (तीन) वर्षों तक अपनी सेवायें देनी होंगी (संचालन शुरू होने की तिथि से 3 वर्ष)।

(ग) यहपॉलिसी कम से कम 25 (पचीस) सीटो वाली नई BPO/BPM इकाईयों पर लागू होंगें।

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

(घ) यह पॉलिसी राज्य में पूर्व से कार्यरत BPO/BPM इकाईयों पर लागू होगी, बशर्ते वे अपनी क्षमता को 25% या 25 Seat (जो ज्यादा हों) से बढ़ायें।

12. इस पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ को राज्य के अन्य पॉलिसी के साथ मिलाकर प्राप्त न किया जाये,जब तक कि उस पालिसी के अंतर्गत वर्णित न हो। इसके अतिरिक्त कंपनियों द्वारा समान घटको के लिए भारत सरकार की योजनाओं/पॉलिसी के तहत् देय लाभ के लिए भी पात्र नहीं होगी,हालांकि कंपनियों को पॉलिसी के विभिन्न घटकों के लिए देय लाभ के पात्र होंगी।

13. **BPO इकाईयों को देय विभिन्न Incentive:-**

इसका विस्तृत विवरण पॉलिसीके तृतीय भाग BPO Policy-2023 की कंडिका-1 एवं 2 में वर्णित है।

14.शर्तो का उल्लंघनः-

नईIT, Data Centre तथा BPOInvestment Promotion पॉलिसी के तहत् लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों/आवेदकों को राज्य के सभी वैधानिक कानूनों और विनियमों के साथ इसपॉलिसीमें उल्लेखित सभीनियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। ऐसा ना करने पर पॉलिसी के तहत् प्राप्त लाभों को वापस लेने के साथ-साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से दण्ड का प्रावधान है (जिस तारीख से लाभ प्राप्त किया गया है)।

15. राज्य की **IT, Data Center** एवं **BPO Investment PromotionPolicy-2023** इस संकल्प के साथ संलग्न है। राज्य में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 नीति 2016, इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाईन एवं मैन्यूफैक्चरिंग नीति 2016,बी0पी0ओ0/बी0पी0एम0 नीति 2016 एवं स्टार्ट-अप नीति 2016 संबंधी निर्गत एतदर्थ Policy के संकल्प निर्गत की तिथि से निरस्त किया जाता है। उक्त नीति में दी गई छूट संकल्प निर्गत की तिथि से 5 (पाँच) वर्षो के लिए प्रभावी होगी।

16. इसे तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सरकार के सचिव

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance